BN-8

नकली ऑफर्स/ लॉटरी जीतने/ सस्ते फंड ऑफर्स के लिए सस्ते में धन भेजने के नकली प्रस्तावों के खिलाफ आरबीआई की चेतावनी

रिज़र्व बैंक ने 26 मई 2010 को बनावटी प्रस्तावों के संबंध में अतिरिक्त सावधानी तथा सतर्कता बरतने की सलाह दी है जहाँ पर तथाकथित इनामी राशि / अवॉर्ड राशि इत्यादि के ट्रांसफर के प्रति ट्रांजैक्शन प्रकार इत्यादि जैसा दिखने वाले भुगतान पाने के लिए खाते खोले जाते हैं और / या व्यवहार किए जाते हैं. रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि भारत का निवासी कोई भी व्यक्ति यदि ऐसे भुगतान जुटाता है और प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रुप से भारत से बाहर ऐसे अंतरण करता है तो वह नो योर कस्टमर (केवाईसी) मानको/ एंटी मनी लॉन्डरिंग (एएमएल) मानकों से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने के लिए जवाबदेह होने के अलावा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऐक्ट, 1999 का उल्लंघन करेगा.

रिज़र्व बैंक ने इस बात पर बार-बार बल दिया है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 किसी भी स्वरुप में लॉटरी की स्कीमों में भाग लेने के लिए अंतरण को निषिद्ध करता है. ये प्रतिबंध विभिन्न नामों के तहत विद्यमान लॉटरी जैसी स्कीमों में भाग लेने के लिए धन अंतरणों पर भी लागू हैं, जैसे कि इनाम राशि/ अवॉर्ड इत्यादि सुरक्षित करने के प्रयोजन से मनी सर्कुलेशन स्कीम या अंतरणों के लिए भी लागू है.

बैंकों को जारी किए गए अपने परिपत्रक में रिज़र्व बैंक ने कहा है कि हाल के समय में जालसाजों से सस्ते फंड के नकली ऑफर्स की लहर आ रही है. ये पत्रों, ई-मेल, मोबाइल फोन, एसएमएस इत्यादि के ज़रिए आता हैं. जालसाजों की कार्य पद्धतियों का वर्णन करते हुए रिज़र्व बैंक ने कहा था कि रिज़र्व बैंक के बनावटी लेटर हेड्स पर ऐसे पत्र भेजे गए थे और उसमें लक्ष्य बनाए गए व्यक्तियों के वरिष्ठ अधिकारियों / बैंक के शीर्ष कार्यपालक के जाली हस्ताक्षर किए गए थे. कई नागरिक ऐसे लुभावने प्रस्तावों के शिकार बन चुके हैं और इस प्रक्रिया में उन्होंने बड़ी धनराशि गंवाई है. रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह बात भी लाई गई है कि भोले-भाले लोगों से प्रोसेसिंग फीस / ट्रांजैक्शन फीस / टैक्स क्लियरिंग शुल्क / कन्वर्ज़न शुल्क, क्लियरिंग शुल्क इत्यादि जैसे विभिन्न नामों से जालसाज लोग धन मांगते हैं. ये जालसाज लोग व्यक्तियों या प्रॉपराइटरी कंपनियों के नाम से विभिन्न बैंकों की शाखाओं में अनेक खाते खोलते हैं और ट्रांजैक्शन शुल्क जुटाते हैं. ये जालसाज इन खातों में कुछ राशि जमा करने के लिए पीड़ितों को प्रेरित करते हैं. ये धन तुरंत निकाल लिया जाता तथा शिकार व्यक्ति असहाय सा रह जाता है.

रिज़र्व बैंक ने ऐसी नकली स्कीमो/ ऑफर्स के बारे में पहले प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए अनेक मौकों पर जनता को सतर्क किया है. इस विषय पर ग्राहक www.hdfcbank.com रेमिटेंस विभाग में आरबीआई प्रेस रिलीज़ देख सकते हैं.

Validity : Permanent
Ver : BN8_V1.0_Sep11

एच डी एफ सी बैंक
हम समझें आपकी दुनिया